श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रशांत नंदा (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Natural calamities caused by incessant rains in Uttarakhand

श्री अनिल बलूनी (उत्तराखंड): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे राज्य उत्तराखंड में अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, विगत कुछ वर्षों से उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शायद जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। नदी-नाले उफान पर हैं, landslide के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग जगह-जगह बाधित हो रहे हैं। पेयजल आपूर्ति पर एवं विद्युत आपूर्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं, लोगों के घर landslide में बह गये हैं।

सभापति जी, इस विकट समय में राज्य सरकार पूरे मनोयोग के साथ राहत कार्यों में लगी हुई है। कई स्थानों पर राहत कैम्प भी लगाये गए हैं, किन्तु आप जानत हैं कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं। सभापति जी, मेरा आग्रह कि इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार को सहयोग किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड आपदाओं के प्रतिं सवेदनशील राज्य है। ऐसे मे कभी भी कोई बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। अतः मेरा निवेदन है कि NDRF की एक इकाई स्थायी रूप से उत्तराखंड में स्थापित होनी चाहिए, धन्यवाद।

Need to make local language mandatory for all recruitments by I.B.P.S

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, the centralised recruitment system in the banking industry is a blatant violation of the federal structure of our country. The regional recruitments are completely ignored by allowing people from other States and far away States which has created unrest among the local-language speaking people.

Sir, in Karnataka alone, out of 18,000 recruitments, only 1,060 have been selected in the local language category. In earlier recruitments, there was a clause saying, 'The knowledge of local language is compulsory.' Now, it is changed to, 'The knowledge of local language is desirable.' Sir, this has created problems. Among the people working in rural areas or in semi-urban areas who don't know the local language and the local people,

DR. L. Hanumanthaiah

there is a friction; the friction is between customers and the banking staff. This has created a lot of problems not only in Karnataka but also in all other parts of the country. So, I request the hon. Finance Minister in this. The earlier Chief Minister of Karnataka had also written a letter to the Government of India requesting a change in this and seeing to it that the earlier Regional Recruitment Boards are brought back and recruitment is done in the earlier fashion. Earlier, when Regional Recruitment Boards were there, the local language was considered compulsory and the recruitment was done. Because of the centralised system, the local languages of all the States are neglected. This has created unrest among the people in the country, particularly to those who have studied in the local languages. They are not getting even a clerical job in their own States, even in rural banks! That is the problem. I request the Government to change the direction of the recruitment and issue a new directive to all the States and bring back the Regional Recruitment Boards again. Thank you very much, Sir.

SHRI R.S. BHARATHI (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with Zero Hour Mention made by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with Zero Hour Mention made by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with Zero Hour Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: This is an important issue and it has to be studied. Now, Shri B. Lingaiah Yadav; he is not present. Shri Motilal Vora.

Trafficking in women and children in the country

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों से, विशेष कर आदिवासी लड़कियों को दिल्ली में रोज़गार दिलाये जाने की बात कह कर लाया जा रहा है। ये लोग, जो दलाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के सम्पर्क में रहते हैं और दिल्ली में लाकर उन लड़कियों को प्लेसमेंट एजेंसीज़ को 40-50 हजार रुपए में बेच देते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा छुड़ायी गई लड़कियों में अधिकांश झारखंड, बंगाल, ओडिशा और असम के पिछड़े एवं साधनहीन इलाकों से थीं तथा उनमें से कुछ को तो अपना पता तक मालूम नहीं था। देश में सबसे तेज़ी से फल-फूल रहे संगठित अपराधों में मानव तस्करी प्रमुख है। क्राइम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 15,379 मानव तस्करी की गई और 23,117 पीड़ितों को छुड़ाया गया। वर्ष 2016 में ही 1,11,569 बच्चे गुम हुए, जिनकी या तो तस्करी की गई अथवा अपहरण किया गया।

नेपाल से भी भारत के रास्ते मानव तस्करी का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारणों की तह तक जाना सरकार का दायित्व है ताकि इस घिनौने कार्य को रोका जा सके और अपराधियों को सजा भी मिल सके।